संख्या-153/चौवालिस-2-75/1986-92

प्रेषक,

रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

2-सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ : दिनांक 10 फरवरी, 1992

विषय :- सार्वजनिक उद्यमों में चिकित्सावकाश का मानकीकरण।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-200/44-2-75/1986, दिनांक 16 फरवरी, 1987 एवं शासनादेश संख्या-1304/44-2-75/86, दिनांक 29 फरवरी, 1988 के अनुक्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय उद्यमों से उक्त शासनादेशों के संदर्भ में यह प्रस्ताव भेजा गया है कि 30 दिन से अधिक अवकाश स्वीकृत करने के लिये संचालक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त करने के प्राविधान के कारण अवकाश स्वीकृत करने की प्रक्रिया में काफी विलम्ब हो जाता है। अतः उक्त कठिनाई पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन ने उक्त शासनादेश दिनांक 29 फरवरी, 1988 को निम्नवत् संशोधित करने का निर्णय लिया है :-

"यदि चिकित्सा अवकाश की अवधि 10 दिन से अधिक तथा 60 दिन तक है तो चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति के आधार पर प्रबन्ध निदेशक अवकाश स्वीकृत करने के लिये पूर्णतः सक्षम प्राधिकारी होंगे परन्तु 60 दिन से ऊपर के मामलों में संचालक मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाती रहेगी।"

2- कृपया उक्त सीमा तक शासनादेश दिनांक 29 फरवरी, 1988 एतद्द्वारा संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

संख्या-153(1)/44-2-75/1986-92, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निगमों/उपक्रमों से सम्बन्धित सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(2) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1।
(3) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ को 10 प्रतियों में।

आज्ञा से,
मन्द्रालय जोशी,
अनु सचिव।